न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 702-तीन/2008 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 15-4-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 362/2000-01 अपील

सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र रामगोपाल
ग्राम लखहा तहसील रामपुर वघेलान
जिला सतना , मध्य प्रदेश । ---आवेदक

विरूद्व

1- रामगोपाल पुत्र वासदेव तिवारी
2- अरबिन्द कुमार पुत्र रामगोपाल तिवारी
निवासी ग्राम लखहा तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 362/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-2008 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम लखहा स्थित कुल किता 21 के हिस्सा 1/2 एंव ग्राम चोरहटा स्थित भूमि सर्वे नंबर 1550 रकबा 18.50 ए. के हिस्सा 1/3 पर बसीयत के मान से नामान्तरण किया जाय। तहसीलरार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 1-अ-6/2000-01 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई

कर आदेश दिनांक 28—11—2000 पारित किया तथा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 23/2000/01 अपील में पारित आदेश दिनांक 13—3—2001 सें अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष रामगोपाल तिवारी पुत्र बासुदेव तिवारी अनावेदक क्रमांक—1 ने अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 362/2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—4—2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि साक्षीगण के कथनों से बसीयत प्रमाणित है जिसके के आधार पर तहसील न्यायालय व्दारा किया गया नामान्तरण सही है । भले ही बसीयत मूल रूप में तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई है किन्तु साक्षीगण बसीयत होना कथन से प्रमाणित कर रहे है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने जब अपील प्रकरण में छानवीन की है उन्होंने भी बसीयत सही होना माना है किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने गलत अर्थ निकाल कर बसीयत को संदेहास्पद मानते हुये तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने में भूल की है।

अनावेदकगण के अभिभाषक बताया कि जब बसीयत तहसील में प्रस्तुत नहीं हुई, छायाप्रति प्रस्तुत की गई तथा बसीयत के साक्षी के कथन भिन्नता लिये है बसीयत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उन्होंने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी। साथ ही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक सतना के न्यायालय से निर्णीत व्यवहार वाद क. 40 ए/1999 में पारित आदेश दि. 21—4—11 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा तहसीलरार रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 1—अ—6/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 28—11—2000 , अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 23/2000/01 अपील में पारित आदेश दिनांक 13—3—2001 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 362/2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—4—2008 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मान0प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक सतना के न्यायालय से व्यवहार वाद कमांक 40 ए/1999 में पारित आदेश दिनांक 21—4—11 की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रस्तुत की गई छायाप्रति के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में स्वत्व वावत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी है तब राजस्व न्यायालय मान0प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक सतना के व्यवहार वाद कमांक 40 ए/1999 में पारित आदेश दिनांक 21—4—11 के पालन हेतु वाध्य है एंव पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 362/2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—4—2008 यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर